Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of April, 2020

1. Amid lockdown due to the COVID-19 outbreak in the country, *National Panchayati Raj Day–2020* was commemorated in a simple manner on 24 April 2020 at a 'virtual' event marked by the gracious presence of the Hon'ble Prime Minister and Hon'ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare, Rural Development & Panchayati Raj. All the Sarpanches were informed through SMSs well in advance about this programme and were requested to witness this prestigious event.

2. On this momentous occasion, Hon'ble Prime Minister addressed all the Panchayats across the country through video conferencing. This historic event witnessed Hon'ble Prime Minister's interaction with seven elected Heads of Panchayats from different regions of the country. The entire event was telecast / broadcast live and web-streamed, and the same was widely viewed / listened to. On this occasion, Hon'ble Prime Minister inaugurated *e-GramSwaraj* portal and *SVAMITVA Scheme* of the Ministry.

3. During the event of National Panchayati Raj Day–2020, Hon'ble Minister of Panchayati Raj announced that National Panchayat Awards under three categories have been finalized and related details have been shared with States/UTs. Hon'ble Prime Minister congratulated the winners under various categories of National Panchayat Awards 2020.

4. A day before National Panchayati Raj Day–2020, Hon'ble Prime Minister vide a Message dated 23/4/2020 addressed to Hon'ble Minister of Panchayati Raj, praised the role of Gram Panchayats in fighting Coronavirus at the grassroots level through social distancing and other measures announced by the Government and highlighted the important role a strong rural economy can play in the growth of the country and also the emphasis put on rural development by the incumbent Government as evidenced in several schemes. Hon'ble Prime Minister's Message was disseminated through Ministry's website / social media platforms / WhatsApp Groups.

5. Ministry has brought out the latest issue of quarterly magazine "Gramoday Sankalp" and e-edition of "Gramoday Sankalp", which was inaugurated by the Hon'ble Minister of Panchayati Raj on 27/4/2020. On this occasion, Hon'ble Minister of Panchayati Raj also released the *Framework for Implementation of SVAMITVA Scheme* and a Standard Operating Procedure

(SOP) regarding e-Gram Swaraj portal. Hon'ble Minister also wrote a D.O. letter dated 28th April, 2020 addressed to the Hon'ble Chief Ministers of eight States wherein SVAMITVA scheme will be implemented in pilot phase during 2020-21 at an estimated cost of Rs.79.65 crore. A Video Conference meeting with officers of these States regarding implementation of SVAMITVA scheme was also held by Secretary, Panchayati Raj on 30.04.2020.

6. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has been mandated to recommend release of Fourteenth Finance Commission (FFC) grants to rural local bodies, as per decision taken by Ministry of Finance (MoF). MoF has completed release of FFC Grants to the States for the period 2015-20, with the last releases made by it in the month of March, 2020. Total summary of FFC Grants released to the States for the period FY 2015-16 to 2019-20 are given below:

(Rs. in crore)

Grant	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**Total**
Total Allocation (BG+PG)	21624.46	33870.52	39040.97	45069.16	60687.13	**200292.20**
Basic Grants (BG) Released	21510.46	29718.76	34352.36	39245.08	49967.41	**174794.07**
Performance Grants (PG) Released	--	3499.45	1943.55	--	--	**5443.00**
Total Release (BG+PG)	21510.16	33218.21	36295.90	39245.08	49967.41	**180237.06**
Percentage Release	99.5 %	98.1 %	93 %	87.1 %	82.3 %	**90 %**

7. The total FFC Basic Grants released to the States during the FFC Period has been Rs.180237.06 Crore amounting to 90 % of the Allocations.

8. States have been asked to expedite implementation of PRIASoft-PFMS interface towards payments to Vendors/Service Providers, Geo-photo Tagging of Assets to ensure transparency and accountability.

9. Revised guidelines towards implementation of the provisions in the interim report of Fifteenth Finance Commission for FY 2020-21 have been forwarded to MoF for incorporation in the final document of guidelines to be prepared by them.

10. A proposal has been sent to the Fifteenth Finance Commission for considering recommendation of special grants during 2021-26 towards construction of Gram Panchayat Bhawans for the Gram Panchayats which do not have their own buildings presently.

11. Ministry of Panchayati Raj has launched *AuditOnline* Application for online financial audit of Panchayat accounts in all the States on 15th April, 2020, which will strengthen financial management system in the Panchayats as well as streamline the processes involved in auditing. This will enhance transparency and accountability in the role/activities undertaken by PRIs in Panchayats. In order to effectively implement this *AuditOnline* Application, online trainings of the concerned functionaries in all the States have also been conducted on 27th, 28th and 29th April, 2020.

12. A meeting of the Central Empowered Committee (CEC) of the Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) held on 17th April, 2020 through Video Conference under the Chairmanship of

the Secretary, Ministry of Panchayati Raj, the Annual Action Plan of 10 States for the year 2020-21 amounting to Rs.1611.14 crore were approved.

13. In addition, the CEC also approved the proposal of NIRD&PR, Hyderabad for creation of 250 Model GP Clusters across all the States/UTs during two years i.e. for 2020-21 and 2021-22 with the total project cost of Rs.75.303 crore with the financial support of Rs.31.08 crore under central component of RGSA. The remaining cost would be arranged through NIRD&PR, State Component of CB&T under RGSA and UNDP.

14. Under the scheme of Incentivisation of Panchayat, National Panchayat Awards 2020 (Appraisal Year 2018-19) under the following 3 categories were shortlisted/ finalized and communicated to concerned States/Union Territories (UTs):

- Child-friendly Gram Panchayat Award to 30 Gram Panchayats (GPs)/ Village Council (VC) in 30 States/UTs
- Nanaji Deshmukh Rashtriya Gaurav Gram Sabha Puraskar to 27 GPs/ VC in 27 States/UTs
- Gram Panchayat Development Plan Award to 28 GPs/ VC in 28 States/UTs

15. Ministry utilized the NIC SMS Services for dissemination of various messages of immense use in the larger public interest, especially for creating awareness about preventive measures to stop the spread of COVID-19 among the elected representatives of Panchayati Raj Institutions on different dates during the month of April 2020.

16. Hon'ble Prime Minister's Address to the Nation (14/4/2020), Hon'ble Prime Minister's Message issued on the eve of National Panchayati Raj Day (23/4/2020), Hon'ble Prime Minister's Address to Panchayats (24/4/2020) and Hon'ble Minister(PR)'s Video Message for NPRD–2020 (24/4/2020) were disseminated through social media platforms.

*****

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय संविधान के 73वें संशोधन के संबंध में पक्षसमर्थन, निगरानी और इसको लागू करने के लिए उत्तरदायी है। पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका में ग्रामीण स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके तथा उनका क्षमता निर्माण करके प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को सुदृढ करना शामिल है। उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय के रोडमैप के निम्न तीन स्तंभ हैं:

- वित्त आयोग वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और परामर्शी कार्यों द्वारा समावेशी और सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से अभिसरित और समग्र आयोजना

पंचायती राज मंत्रालय की अप्रैल, 2020 की प्रमुख उपलब्धियों, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण आयोजनों का संक्षिप्त विवरण

1. देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2020 को 24 अप्रैल 2020 को माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 'आभासी' कार्यक्रम में सरल तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम के बारे में सभी सरपंचों को एसएमएस के माध्यम से पहले ही सूचित कर दिया गया था और इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम को देखने का अनुरोध किया गया था।

2. इस महत्वपूर्ण अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर की सभी पंचायतों को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक घटना ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के सात निर्वाचित प्रधानों के साथ माननीय प्रधानमंत्री की बातचीत देखी। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण / प्रसारण और वेब-स्ट्रीम किया गया था, और इसे व्यापक रूप से देखा / सुना गया था। इस अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री ने मंत्रालय के ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना का उद्‌घाटन किया।

3. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2020 के आयोजन के दौरान, पंचायती राज के माननीय मंत्री ने घोषणा की कि तीन श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को अंतिम रूप दिया गया है और संबंधित विवरण राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 की विभिन्न श्रेणियों के तहत विजेताओं को बधाई दी।

4. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2020 से एक दिन पहले, माननीय प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिनांक 23/4/2020 को माननीय पंचायती राज मंत्री को संबोधित किया, उन्होंने सामाजिक दूरी के माध्यम से जमीनी स्तर पर कोरोना वायरस से लड़ने में ग्राम पंचायतों की भूमिका की प्रशंसा की और सरकार द्वारा घोषित अन्य उपायों और महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा यह भी कहा कि एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश की वृद्धि में अहम भूमिका निभा सकती है और कई योजनाओं में निहित कार्यों पर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास पर जोर दिया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री का संदेश मंत्रालय की वेबसाइट / सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म / व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित किया गया।

5. मंत्रालय ने त्रैमासिक पत्रिका "ग्रामोदय संकल्प" और "ग्रामोदय संकल्प" के ई-संस्करण का नवीनतम अंक निकाला है, जिसका उद्‌घाटन 27/4/2020 को माननीय पंचायती राज मंत्री द्वारा किया गया था। इस अवसर पर, पंचायती राज के माननीय मंत्री ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की। माननीय मंत्री जी द्वारा एक अ. शा. पत्र दिनांक 28

अप्रैल, 2020 को आठ राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया गया था, जिसमें स्वामित्व योजना को 2020-21 के दौरान 79.65 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पायलट चरण में लागू किया जाएगा। दिनांक 30/04/2020 को सचिव, पंचायती राज द्वारा स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के संबंध में इन राज्यों के अधिकारियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया गया था।

6. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को वित्त मंत्रालय (एमओएफ़) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग (एफ़एफ़सी) अनुदान जारी करने की सिफारिश करने के लिए अधिदेशित किया गया है। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को 2015-20 की अवधि के लिए एफ़एफ़सी अनुदान जारी करने की प्रक्रिया पूरा कर ली है, इसके साथ मार्च, 2020 के महीने में अंतिम धनराशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिए राज्यों को जारी किए गए एफ़एफ़सी अनुदान का कुल विवरण नीचे दिए गए हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

अनुदान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
कुल आवंटन (बीजी + पीजी)	21624.46	33870.52	39040.97	45069.16	60687.13	**200,292.20**
मूल अनुदान (बीजी) जारी	21510.46	29718.76	34352.36	39245.08	49967.41	**174,794.07**
निष्पादन अनुदान (पीजी) जारी	-	3499.45	1943.55	-	-	**5443.00**
कुल जारी (बीजी + पीजी)	21510.16	33218.21	36295.90	39245.08	49967.41	**180,237.06**
जारी प्रतिशत	99.5%	98.1%	93%	87.1%	82.3%	**90 %**

7. एफएफसी अवधि के दौरान राज्यों को जारी किए गए कुल एफएफसी मूल अनुदान का आवंटन 180237.06 करोड़ रुपए है जो कि आवंटित राशि का 90% है।

8. राज्यों से कहा गया है कि वे वेंडर्स / सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान के लिए प्रियासॉफ्ट-पीएफ़एमएस इंटरफेस के कार्यान्वयन में तेजी लाएं और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एसेट्स की जियो-फोटो टैगिंग करें।

9. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों को उनके द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अंतिम दस्तावेज में शामिल करने के लिए एमओएफ़ को भेज दिया गया है।

10. वित्त वर्ष 2021-26 के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवन के निर्माण हेतु विशेष अनुदानों की सिफारिश पर विचार करने के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें वर्तमान में अपने स्वयं के भवन नहीं हैं।

11. पंचायती राज मंत्रालय ने 15 अप्रैल, 2020 को सभी राज्यों में पंचायत खातों के ऑनलाइन वित्तीय ऑडिट के लिए ऑडिटऑनलाइन अनुप्रयोग शुरू किया है, जो पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ ऑडिटिंग में शामिल प्रक्रियाओं को कारगर बनाएगा। इससे पंचायतों में पीआरआई द्वारा की गई भूमिका / गतिविधियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इस ऑडिटऑनलाइन अनुप्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, सभी राज्यों में संबंधित पदाधिकारियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण 27, 28 और 29 अप्रैल, 2020 को आयोजित किए गए हैं।

12. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की एक बैठक 17 अप्रैल, 2020 को सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। इसमें वर्ष 2020 के लिए 10 राज्यों के लिए 1611.14 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना की राशि स्वीकृत की गई।

13. इसके अलावा, सीईसी ने एनआईआरडी एवं पीआर, हैदराबाद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जो सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 250 मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर्स के निर्माण के लिए 2020-21 और 2021-22 के दौरान आरजीएसए के केंद्रीय घटक के तहत 31.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता सहित कुल परियोजना लागत 75.303 करोड़ रुपये की थी। शेष लागत की व्यवस्था आरजीएसए और यूएनडीपी के तहत एनआईआरडी एवं पीआर, सीबी&टी के राज्य घटक के माध्यम से की जाएगी।

14. पंचायतों के प्रोत्साहनीकरण की योजना के तहत, निम्नलिखित 3 श्रेणियों के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 (मूल्यांकन वर्ष: 2018-19) को संबंधित राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (संघ शासित प्रदेशों) के लिए सूचीबद्ध / अंतिम रूप दिया गया:

- 30 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 30 ग्राम पंचायतों (जीपी) / ग्राम परिषद (वीसी) को बाल-हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार
- 27 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में 27 जीपी / वीसी को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार
- 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 28 जीपी / वीसी को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार

15. अप्रैल, 2020 के दौरान विभिन्न तिथियों पर मंत्रालय ने जनहित में उपयोगी विभिन्न संदेशों के प्रसार के लिए एनआईसी एसएमएस सेवाओं का उपयोग किया, विशेष रूप से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए ।

16. माननीय प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन (14/4/2020), राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (23/4/2020) की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री का संदेश, पंचायतों को माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन (24/4/2020) और माननीय मंत्री (पीआर) का एनपीआरडी-2020 (24/4/2020) के वीडियो संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित किए गए।

*****